न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 321/18

सरकार बनाम श्री: मन्नू S/o गोपी
जाति जोगी ग्रा कलोत्र

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

दिनांक 23.2.18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री मन्नू पुत्र श्री गोपी जाति जोगी निवासी कलोत्र तहसील महवा ने संवत 2074 फसल रवि / खरीफ मे ग्राम कलोत्र की राजकीय आराजी खसरा नं. 331 रकबा 16.98 किस्म [illegible] भूमि से 0.02 रकबा पर अनाधिकृत रूप से [illegible] कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ । अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया । अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नही किया गया । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अत: अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.88 का 50 गुना 44/- राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एंव वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)
तहसीलदार
महवा जिला दौसा

रजिस्टर न./प्र के पेज न0 27 पर
वर्ष 2017-18 [illegible]
की राशि [illegible] 44 रू0....
की जमा [illegible]
दिनांक 5/3/18 [illegible] लेखाकार
तहसील-महवा